

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

न्याय न तारीख अहकाम जो
इस हुक्म की तारीख में
जाती हुए

न्यायालय सभागीय आयुक्त, बीकानेर
अपील संख्या- 38/2010 अंतर्गत धारा-76 एल.आर.एक्ट
(GCMS No. 2016/00189)

अनवान:

1. रूपनाथ पुत्र गणेशनाथ जाति जोगी निवासी ग्राम रिडी तहसील
श्रीदुंगरगढ़ जिला बीकानेर वगैरह।

बनाम

1. दीपनाथ पुत्र जेठनाथ जाति जोगी निवासी रिडी तहसील
श्रीदुंगरगढ़ जिला बीकानेर वगैरह।

30.07.2024

पत्रावली प्रस्तुत हुई। अभिभाषकगण उपस्थित। अभिभाषक अपीलान्त को रेस्पोंडेंट संख्या 1 ता 3 के निमित्त सम्मन प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 04.02.2015 से लगातार पाबन्द किया जाता रहा है, किन्तु अभिभाषक अपीलान्त को बार-बार पाबन्द किये जाने के बावजूद आदिनांक सम्मन प्रस्तुत नहीं किये हैं। अपीलान्त द्वारा जरिये अभिभाषक न्याय की वांछा लेकर इस न्यायालय में यह अपील प्रस्तुत की गयी, लेकिन अभिभाषक अपीलान्त को लगातार पाबन्द करने के बावजूद भी आदिनांक तक सम्मन प्रस्तुत नहीं किये हैं। न्याय चाहने की तत्परता व कोशिश का अभाव अपील चलाने में अरुचि जाहिर करती है। अतः उक्त अपील अपीलान्त राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 63(2) के तहत अदम तकमील में खारिज की जाती है। आदेश की प्रति अपील पत्रावली में शामिल होकर एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्रेषित होकर पत्रावली सुव्यवस्थित रखी जावे। आदेश आज दिनांक 30.07.2024 को सुनाया गया।

9m/30/2/24
(वन्दना सिंघवी)
संभागीय आयुक्त,
बीकानेर